प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
4 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
5 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
6 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
7 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीडा, जौनपुर।
8 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बीडा, भदोही।
9 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लीडा, लखनऊ।
10 आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
11 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर।
12 आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
13 उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
14 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 14 जुलाई, 2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के प्रस्तर-4-शब्दावली के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आदि की परिभाषा के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के प्रस्तर-4 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आदि की परिभाषा में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से निम्नवत् शब्दावली अँगीकृत की जाती है:-

(1) "सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाइयां/कम्पनियां इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/कम्पनियों में सम्मिलित हैं सू0प्रौ0 एप्लीकेशेन्स (IT applications), साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से अभिप्राय है बी0पी0ओ0/के0पी0ओ0/परामर्शी (consulting)/'एनीमेशन(animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा अन्य ज्ञान उद्योग (knowledge industry)।

(2) **सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सन्निहित है, किन्तु यही तक सीमित नहीं:-**

- एप्लीकेशन साफ्टवेयर (Application Software)।
- आपरेटिंग सिस्टम (Operating System) ।
- मिडिलवेयर/फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)।
- उक्त साफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास।
- इन साफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- प्रणाली का एकीकरण (System Integration Work)/साफ्टवेयर हेतु अवयव (component)।
- साफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट(Supply Chain Management) का कार्य।
- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य साफ्टवेयर के बाहर के माड्यूल्स)

(3) **सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं** का आशय उन सेवाओं से है जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मूल्य संवर्द्धन करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित है:-

- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
- ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर।
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर।
- ई-कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट।
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (EDI) सेवायें।
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग।
- वी-सैट-आई.एस.डी.एन सेवायें।
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप।

(4) **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं** में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक-आफिस आपरेशन्स-लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बायो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल-सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:-

- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेण्ट (BPM)।
- ग्राहकों से वार्तालाप से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई-मेल, हेल्प-डेस्क।
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- बैक आफिस प्रोसेसिंग।
- वित्त एवं लेखा (रिमोट द्वारा)।
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया- इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट द्वारा)।
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)।
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)।
- डेटा सर्च इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)।
- एनीमेशन - (रिमोट द्वारा)।
- गेमिंग।
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)।
- अनुवाद (Translation) नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)।
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषयः-
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर।
  - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning)।
  - सी0आर0एम0-ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)।
  - एम0आर0एम0-(Marekting Resources Management)।
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)।
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)।
- डेटा प्रोसेसिंग।
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन।
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज।
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स।
- काल सेन्टर्स
  - वायस - इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड - दोनों।
  - डेटा - इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड - दोनों।
- साफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट।
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)।
- **'रिमोट द्वारा'** का तात्पर्य इन्टरनेट/दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं की उपलब्धता से है।

(5) **नगरों का वर्गीकरण (Classification):-**

- सोपान -1 (Tier I): नोएडा, ग्रेटर नोएडा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- सोपान -2 (Tier II): लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर विशेषतया यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र सहित
- सोपान -3 (Tier III): 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर।

(6) **केस-टू-केस आधारित (Case to Case basis)**

- रू0 200 करोड़ रू से अधिक के प्रस्तावित निवेश वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा मेगा निवेश परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों के लिए प्रदेश में 'रेडी टू मूव इन' सुविधा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईटी अवस्थापना निजी विकासकर्ता, जिन्हें 10 एकड़ क्षेत्र से अधिक में अथवा विगत 5 वर्षों में, रू0 200 करोड़ से अधिक के निवेश से आईटी अवस्थापना विकास का अनुभव है, उन्हें भी पृथक-पृथक प्रकरण के आधार पर प्रदेश के सोपान-2 व सोपान-3 के नगरों में 05 एकड़ के क्षेत्र से अधिक के आईटी पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। विकासकर्ता को प्रोत्साहन राशि इस शर्त सहित अनुमन्य की जायेगी कि वह फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग आईटी सुविधा के लिए परिचालन आरम्भ होने की तिथि से 10 वर्षों के लिए किया जाये।

(7) **एम.एस.एम.ई. (MSME)** ऐसी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयां जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु0 25 करोड़ तक हो।

(8) **सरकारी अभिकरण (State Agencies)**

- विकास प्राधिकरण (Development Authorities)।
- आवास एवं विकास परिषद।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण: (Industrial Development Authorities)।
- उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC)।
- सरकार द्वारा अधिसूचित (notified) राज्य के अन्य अभिकरण ।

(9) **स्टार्ट-अप (Start-Up):** निम्न शर्तों की पूर्ति करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगाः-

(क) अपने निगमन/पँजीयन की तिथि से 5 वर्ष तक।

(ख) संस्था (entity) उत्तर प्रदेश में पँजीकृत हो

(ग) वह प्रौद्योगिकी (technology) अथवा बौद्धिक सम्पदा (intellectual property) द्वारा चालित नये उत्पादों, प्रक्रियाओं (processes) अथवा सेवाओं के व्यवसायीकरण (commercialization) के लिए किसी नवाचार (innovation), विकास, फैलाव (deployment) हेतु कार्यरत हो।

(घ) प्रतिबन्ध यह होगा कि पहले से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्निमाण के फलस्वरूप बनी किसी संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) नहीं माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) **संस्था (entity)** से आशय (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथापारिभाषित) किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, अथवा (साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अन्तर्गत) पंजीकृत एक साझेदारी फर्म अथवा (लिमिटेड लाइबिलिटी साझेदारी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत) लिमिटेड लाइबिलिटी साझेदारी फर्म से है।

3- अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत शासन द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी आदि उद्योगों एवँ स्टार्ट-अप संस्थाओं को अनुमन्य समस्त सुविधायें नियमानुसार उपलब्ध होंगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

सँख्या-16/2016/869(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, आवास एवं विकास विभाग को इस अनुरोध सहित कि कृपया अपने अधीनस्थ, सभी विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को अपने स्तर से भी परिचालित करने का कष्ट करें।
6- प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- निजी सचिव, विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in